रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236123 SG-DL-E-30052022-236123

#### असाधारण EXTRAORDINARY

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]	दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 97
No. 11]	DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISTHA 9, 1944	[N. C. T. D. No. 97

#### भाग II—I PART II—I

#### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मई, 2022

सं. मु.चु.अ./च.सं./102(20)/2022/13349.—िनम्नलिखित को सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

#### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सं. 100/भा.नि.आ./दिल्ली-वि.स./1/2022.—यत:,दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधानसभा में, 39 - राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री राघव चड्ढ़ा का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरुप 28 मार्च, 2022 को रिक्त हो गया है: और

3571 DG/2022 (1)

- 2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा:-
  - (अ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में 39- राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 28 जून, 2022 (मंगलवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित करे:
  - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	06 जून, 2022 (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	07 जून, 2022 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	09 जून, 2022 (गुरुवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो	23 जून, 2022 (गुरुवार)
मतदान होगा; और	
(-) <del></del>	28 जन 2022 (मंगलवार)

(ड.) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 28 जून, 2022 (मंगलवार)

करा ।लया जाए

नियत करता है:,**और** 

(इ) **07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रुप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ताऱीख को मतदान होगा।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश से.

डॉ. रणवीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

# OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 30th May, 2022

No. CEO/COE/102 (20)/2022/13349.—The following is published for general information:—

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2022

**No. 100/ECI/DEL-LA/1/2022.**—WHEREAS, the seat of Shri Raghav Chaddha in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, elected from 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency, has become vacant on 28<sup>th</sup> March, 2022 by reason of his resignation; **and** 

- 2. **WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-
  - (A) Calls upon the said 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of the State of National Capital Territory of Delhi, to elect, before 28<sup>th</sup>June, 2022 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

- (B) Appoints, with respect to the said election:-
  - (a) the 06<sup>th</sup>June, 2022(Monday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 07<sup>th</sup>June, 2022 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) the 09<sup>th</sup>June, 2022 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
  - (d) the 23<sup>rd</sup> June, 2022 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 28<sup>th</sup>June, 2022 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and
  - (C) Fixes the hours from **07.00 A.M to 06.00 P.M**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order	
AJOY KUMAR, Secy	
By Order	
Dr. DANRID SINGH Chief Flectoral Officer, Dolh	